

विद्यालय कैंटीन को किराये पर लेने / सेवाओं के लिए नियम एवं शर्तें

1. केंद्रीय विद्यालय उभवाल एक वर्ष की अवधि के लिए कैंटीन सेवाएं प्रदान करने हेतु सीलबंद बोलियां/दरें (Quotation) आमंत्रित करता है।
2. ठेकेदार के पास वैध खाद्य/कैटरिंग या इस क्षेत्र में काम करने के लिए आवश्यक लाइसेंस (जैसे FSSAI आदि) या अनुमति होनी चाहिए/प्रबंध करना होगा, अन्यथा बोलियों को निरस्त कर दिया जाएगा।
3. ठेकेदार को दिए जाने वाले परिसर का उपयोग ठेकेदार या उसके सेवक द्वारा आवासीय उद्देश्य सहित किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
4. वे परिसर को साफ और सुथरा रखेंगे। वह किसी भी बाहरी ग्राहक को प्रवेश की अनुमति नहीं देगा। ठेकेदार द्वारा की गई स्वच्छता व्यवस्था प्राचार्य या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की देखरेख या जांच के अधीन होगी।
5. बिजली और पानी का शुल्क तय या स्वीकृत किराए में शामिल होगा। ठेकेदार एक समय में रोशनी (लाइट) और पंखों के लिए केवल दो पॉइंट का उपयोग करेगा, लेकिन रेफ्रिजरेटर को छोड़कर उसके द्वारा किसी अन्य उपकरण का उपयोग नहीं किया जाएगा।
6. ठेकेदार स्वयं ही अपने सेवक (यदि आवश्यकता हो) की सहायता से कैंटीन चलाएगा। सेवक की सेवाएं लेने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार उसे न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार को अपने स्वयं के लिए तथा अपने द्वारा लगाए गए सेवक के लिए सक्षम प्राधिकारी/राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) से चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
7. ठेकेदार प्राचार्य और कैंटीन समिति के सदस्यों के निर्देशानुसार चाय, दूध, बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें बेचने के लिए अधिकृत होगा। बिक्री के लिए रखी गई वस्तुएं स्वच्छ स्थिति में तैयार और संग्रहीत की जाएंगे। स्वीकृत दर सूची (Rate List) बिक्री के लिए उपलब्ध प्रत्येक वस्तु के लिए कैंटीन के बाहर लगाई जाएगी। उक्त कैंटीन में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों का किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा दैनिक आधार पर या प्राचार्य की सुविधा के अनुसार निरीक्षण किया जा सकता है। वह तंबाकू, पान मसाला, राज दरबार आदि जैसे किसी भी अनधिकृत सामान को भी नहीं बेचेगा, जो पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।
8. बिक्री की वसूली (नकद और उधार) की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
9. ठेकेदार बिक्री के लिए सामान तैयार करने की अपनी व्यवस्था स्वयं करेगा, बैठने की व्यवस्था भी ठेकेदार को अपने खर्च पर करनी होगी। वह कमरे में फर्नीचर आदि की व्यवस्था स्वयं करेगा।
10. कैंटीन का समय प्राचार्य द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
11. ठेकेदार अनुबंध के पालन के लिए सुरक्षा (Security) के रूप में ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) की राशि जमा करेगा। अनुबंध की समाप्ति के बाद उसके लिखित अनुरोध पर एक महीने के भीतर यह राशि वापस कर दी जाएगी। निर्धारित शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर इसे जब्त कर लिया जाएगा।
12. केंद्रीय विद्यालय उभवाल विद्यालय परिसर में ठेकेदार द्वारा रखे गए किसी भी सामान, स्टोर या वस्तुओं के नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
13. वस्तुओं की सूची इसके साथ संलग्न है (अनुलग्नक-1)।

14. किसी भी विवाद या संदेह की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

प्राचार्य / Principal

केंद्रीय विद्यालय उभवाल